



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022023-243559
CG-DL-E-13022023-243559

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75]

नई दिल्ली, सोमवार, 13, 2023/माघ 24, 1944

No. 75]

NEW DELHI, MONDAY FEBRUARY 13, 2023/MAGHA 24, 1944

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 92(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट), विनियम, 1958 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट), संशोधन विनियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट), विनियम, 1958 की अनुसूची 2 में, मद 4ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“4ग. वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के प्रवर्तन निदेशालय में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में 67700-208700 रुपये, उप-निदेशक, समूह ‘क’ पद और वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में 56100-177500 रुपये, सहायक निदेशक, समूह ‘क’ पद पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती।”

[फा. सं. 39018/03/2015-स्था.(ख)]

मनोज कुमार द्विवेदी, अपर सचिव

टिप्पण :- मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 789, तारीख 13 सितंबर, 1958 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सा.का.नि. सं. 834 (अ), तारीख 24 नवंबर, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2023

G.S.R. 92(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (3) of article 320 of the Constitution, the President hereby makes the following regulations further to amend the Union Public Service Commission(Exemption from Consultation) Regulations, 1958, namely:—

1. **Short title and commencement:-** (1) These regulations may be called the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Amendment Regulations, 2023
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958, in ScheduleII, after item 4B and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

“4C. Recruitment on deputation basis for a period of one year from the date of publication of this notification for the posts of Deputy Director, Group ‘A’ in level 11 in the pay matrix Rs.67700-208700 and Assistant Director, Group ‘A’ in level 10 in the pay matrix Rs. 56100-177500 in the Enforcement Directorate under the Ministry of Finance, Department of Revenue”.

[F. No. 39018/03/2015-Estt.(B)]

MANOJ KUMAR DWIVEDI, Addl. Secy.

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 789, dated the 13thSeptember, 1958 and last amended *videnotification* number G.S.R. 834 (E), dated the 24thNovember,2021.